

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि० निजी-06/2019 श्र०सं०...../श्री पंकज कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई को अगले आदेश तक के लिए संयुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापन कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई द्वारा किया जाएगा।

3. श्री पंकज कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई की प्रतिनियुक्ति उनके अभ्यावेदन दिनांक 05.02.2025 के आधार पर परिस्थितिजन्य कारणों से की जा रही है अतः उन्हें स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4. उक्त के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी-06/2019.....05...../पटना-01, दिनांक-08/4/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/संयुक्त श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली/श्री पंकज कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई/आई०टी०/प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव